पूर्ण बेंच

न्यायमूर्ति पीसी जैन, न्यायमूर्ति डीएस तेवतिया और न्यायमूर्ति एएस बैंस के समक्ष

राजिंदर सिंह आदि, अपीलकर्ता;

बनाम

कुलतार सिंह और अन्य, ... उत्तरदाताओं।

1971 के आरएफए नंबर 359 में 1978 का सिविल विविध संख्या 1351-सीआई।

16 जुलाई 1979 को हुआ फैसला

पंजाब न्यायालय अधिनियम (1918 का 6) पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियमों (1977 का **20** और 1978 ***का*** **24**) द्वारा ***यथा*** संशोधित - ***धारा*** **39** ***और*** **41** **-** संविधान द्वारा ***संशोधित भारत का संविधान*** **(*बयालीसवां संशोधन*) *अधिनियम*** **1976** - ***अनुच्छेद*** **214** ***से*** **217, 225, 235** और ***सातवीं अनुसूची सूची I प्रविष्टियां*** 77, 78 और **95**, सूची ***II प्रविष्टि*** **3, 13, 46** और **65** और ***सूची III प्रविष्टि*** 11 ***A - लेटर्स पेटेंट*** **(*लाहौर*)** - ***खंड*** **11 - 1977** ***के अधिनियम*** **20** ***और*** **24** में संशोधन **1978**- ***चाहे वह राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर हो - उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने की शक्ति - क्या*** सूची II की प्रविष्टि **3** **(**अब ***सूची III की प्रविष्टि*** **11** ए) में 'न्याय प्रशासन' अभिव्यक्ति से प्रवाहित होता है**) -*इस तरह की व्याख्या - चाहे वह अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के न्यायिक नियंत्रण का अतिक्रमण करती हो - सूची II की प्रविष्टि 3 में 'न्याय प्रशासन'*** - क्या एक ***अलग विषय - ऐसी अभिव्यक्ति - क्या एक व्यापक निर्माण दिया जाना चाहिए*** - लेटर्स पेटेंट का खंड **11** - क्या अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है - ***पंजाब न्यायालय अधिनियम - क्या लेटर्स पेटेंट के साथ विलय होता है।***

और रूप:

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में प्रांतीय सूची की प्रविष्टि 1 की भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 3 के साथ तुलना करने से, यह स्पष्ट है कि पूर्व केवल राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि के साथ आंशिक रूप से मेल खाती है। राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि की संरचना और संरचना प्रांतीय सूची की पहली प्रविष्टि के समान नहीं है। प्रांतीय सूची के तहत, यह न केवल न्याय के प्रशासन पर बल्कि उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन के संबंध में भी कानून बनाने के लिए विधायी योग्यता के भीतर था। लेकिन, अब उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन के विषय को राज्य सूची से संघ सूची की प्रविष्टि 78 में स्थानांतरित कर दिया गया है। सूची 1 की प्रविष्टि 77 के अवलोकन से पता चलता है कि यह सभी व्यापक है ताकि उच्चतम न्यायालय से संबंधित सभी विषयों पर विचार किया जा सके, लेकिन मद 78 के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है जो उच्च न्यायालय से संबंधित है क्योंकि उस मद में क्षेत्राधिकार और शक्तियों के विषय को स्थान नहीं मिलता है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का विषय सूची I के किसी भी अन्य मद में शामिल नहीं पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, सामान्य रूप से क्षेत्राधिकार और शक्तियों के विषय का किसी भी प्रविष्टि में अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन एक विशिष्ट विषय के रूप में 'न्याय प्रशासन' को सूची II की प्रविष्टि 3 (अब सूची III की प्रविष्टि 11 ए) में स्थान मिलता है।

(पैरा 22)।

और रूप:

सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 3 में निहित 'न्याय प्रशासन' को व्यापक अर्थों में समझा जाना चाहिए ताकि राज्य विधायिका को न्याय प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति दी जा सके। सूची II की प्रविष्टि 3 में 'न्याय प्रशासन' शब्दों के बाद एक अर्ध-विराम है। इस विराम चिह्न को अनुचित होने के रूप में नहीं छोड़ा जा सकता है।

विराम चिह्न को इस विषय को अलग बनाने के एक निश्चित उद्देश्य के साथ रखा गया है और केवल उसके बाद आने वाले विषय से संबंध नहीं है। इस प्रकार, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि प्रविष्टि 3 में होने वाला 'न्याय प्रशासन' एक अलग विषय है। इसके अलावा, संविधान निर्माताओं ने उच्च न्यायालय के संविधान और संगठन को राज्य के साथ छोड़ने की इच्छा नहीं की। प्रांतीय सूची की प्रविष्टि । से सूची II की प्रविष्टि 3 में किया गया परिवर्तन उच्च न्यायालयों के 'संविधान और संगठन' के विषय को हटाने और इसे संसद की एकमात्र योग्यता के भीतर लाने के लिए किया गया था। 'संविधान और संगठन' की अवधारणा से यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकार क्षेत्र और शक्ति स्वचालित रूप से वहां से प्रवाहित होगी। सूची । की प्रविष्टि 78 में केवल 'संविधान और संगठन' शब्द का उपयोग किया गया है और यदि संविधान निर्माताओं ने उच्च न्यायालयों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की योग्यता को छीनने का इरादा किया था, तो प्रविष्टि 78 को प्रविष्टि 77 के समान भाषा में कहा जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। प्रविष्टि 78 से 'क्षेत्राधिकार और शक्तियों' की अभिव्यक्ति को हटाना सार्थक है और चूंकि 'न्याय का प्रशासन' एक विशिष्ट विषय है, इसलिए यह माना जा सकता है कि सूची II की प्रविष्टि III के तहत अब सूची III की प्रविष्टि 11A के तहत, राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम है। इस प्रकार, 1977 के पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम 20 और 1978 के 24 वैध हैं और आवश्यक विधायी योग्यता के साथ अधिनियमित किए गए थे।

(पैरा 24, 25, 26, 28 और 53)।

हकीम सिंह बनाम *शिव सागर और अन्य*, ए.आई.आर. 1973

से असहमति जताई।

और रूप:

लेटर्स पेटेंट (लाहौर) ने लाहौर में एक उच्च न्यायालय का गठन किया, जिसे उस समय प्रचलित कानून के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना था। पंजाब कोर्ट एक्ट लेटर्स पेटेंट में विलय नहीं हुआ और न ही लेटर्स पेटेंट ने हाईकोर्ट को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान किया। उस समय लागू कानून के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया गया था। लाहौर में न्यायिक उच्च न्यायालय ने पंजाब न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जो एक वैध कानून था और किसी भी अन्य कानून द्वारा अप्रभावी रहा। संविधान के लागू होने के बाद, फिर से पंजाब कोर्ट अधिनियम एक वैध कानून नहीं रह गया और लेटर्स पेटेंट में पंजाब कोर्ट अधिनियम के विलय का सिद्धांत पूरी तरह से अस्थिर है और यह नहीं कहा जा सकता है कि पंजाब कोर्ट अधिनियम की धारा 39 और 41 को लेटर्स पेटेंट में शामिल किया गया था। इसके अलावा, यदि राज्य विधानमंडल के पास पंजाब न्यायालय अधिनियम में संशोधन करने की विधायी योग्यता थी, तो केंद्रीय कानून के साथ राज्य कानून के प्रतिकूल होने या भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को आरक्षित करने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा, विधायिका मौजूदा कानून और संबंधित केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए सक्षम होने के नाते, जो सक्षम विधायी निकाय द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून में परिवर्तन ोां को प्रभावी बनाने की परिकल्पना करते हैं, पंजाब न्यायालय अधिनियम में राज्य विधानमंडल द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों को संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल और अनुचित नहीं माना जा सकता है।

(पैरा 49)।

और रूप:

संशोधन अधिनियमों द्वारा जिला न्यायाधीश को मूल वाद के मूल्य पर ध्यान दिए बिना अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री या आदेश से अपील सुनने की शक्तियां प्रदान की

गई हैं। अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से अपील सुनने के लिए जिला न्यायाधीश को शक्ति प्रदान करना, मूल्य के बावजूद, राज्य विधानमंडल की विधायी योग्यता के भीतर है। ऐसा होने पर, भले ही यह कहा जाए कि लागू किया गया कानून संयोग से संसद को सौंपे गए विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, फिर भी यह 'सार और सार' के सिद्धांत के आधार पर मान्य होगा।

(पैरा 50)।

और रूप:

यह कि संशोधन अधिनियमों के पारित होने के बाद भी, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का न्यायिक नियंत्रण अभी भी मौजूद है। लागू कानून द्वारा जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि पहली अपील अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से लेकर जिला न्यायाधीश तक होगी, चाहे वाद का मूल्य कुछ भी हो और पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अनुरूप लाया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील सुनवाई योग्य है और उक्त विधान द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के न्यायिक नियंत्रण को छीनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(पैरा 51)।

*माननीय न्यायमूर्ति डी एस तेवतिया और माननीय न्यायमूर्ति ए एस बैंस की खंडपीठ ने*22*नवंबर*, 1978 को मामले *में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय के लिए मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जैन, माननीय न्यायमूर्ति डी.एस.तेवतिया और माननीय न्यायमूर्ति श्री अजीत सिंह बैंस की वृहद पीठ ने अंततः* 16*जुलाई*, 1979 को मामले का फैसला किया।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन में *प्रार्थना की गई है कि उपरोक्त नियमित प्रथम अपील को इस माननीय न्यायालय में बरकरार रखा जाए और हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर जिला न्यायाधीश, करनाल की अदालत में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, जो शून्य हैं।*

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एम.एस.जैन, अधिवक्ता आई.सी.जैन और अधिवक्ता विनोद जैन।

एस.सी. मोहनता, ए.जी.(एच.) के साथ नौबत सिंह, सीनियर डी.ए.जी.

उत्तरदाताओं के लिए एएस सरहदी, एजी (पी) के साथ आरके महाजन, डीएजी (पंजाब)

निर्णय

न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन,

(1) पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्या 20) और पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम संख्या 24) हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए थे। 1977 के अधिनियम संख्या 20 द्वारा, अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री या आदेश से जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील की अधिकारिता को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया था, जबकि 1978 के अधिनियम संख्या 24 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि अधीनस्थ न्यायाधीश की डिक्री या आदेश से अपील जिला न्यायाधीश के पास होगी, मूल सूट के मूल्य के बावजूद। 1978 के अधिनियम संख्या 24 के तहत, धारा 41 में एक संशोधन भी किया गया था ताकि उस धारा के प्रावधानों को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के प्रावधानों के अनुरूप लाया जा सके। 1978 के अधिनियम संख्या 24 के तहत धारा 39 में संशोधन का प्रभाव यह है कि इस

न्यायालय में लंबित सभी R.F.As जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

(2) 1971 का आरएफए नंबर 359 (*राजिंदर सिंह आदि)* बनाम *करतार सिंह आदि*/और 1974 का आरएफए नंबर 67 (*पंजाब इलेक्ट्रिकल एंड जनरल इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड* बनाम *भारतीय स्टेट बैंक*) इस न्यायालय में निर्णय लंबित था। 1978 के अधिनियम संख्या 24 के आधार पर किए गए संशोधन के मद्देनजर, इन दोनों अपीलों को निपटान के लिए जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित किया जाना था। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दो अपीलों में क्रमशः दो आवेदन दायर किए गए हैं, जिसमें उपरोक्त दो संशोधन अधिनियमों की वैधता पर सवाल उठाया गया है। ये आवेदन इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आए, जिसमें न्यायमूर्ति डी.एस.तेवतिया और न्यायमूर्ति ए.एस.बैंस शामिल थे। मेरे विद्वान भाइयों ने काफी विस्तार से दलीलें सुनने के बाद मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लेने के लिए भेज दिया, सिविल विविध संख्या 1351-सीआई/1978 में आरएफए संख्या 369 1971 में। 1977 के हरियाणा अधिनियम संख्या 20 जिसे पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जाता है और 1978 के हरियाणा अधिनियम संख्या 24 जिसे पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जाता है, को चुनौती दी गई है। लगभग एक मैराथन सुनवाई के समापन पर, यह देखा गया कि शायद 1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 35 जिसे पंजाब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1963 कहा जाता है, वह भी अपने अधिकारों के लिए चुनौती से मुक्त नहीं है और इस तथ्य के कारण पंजाब के महाधिवक्ता की सुनवाई की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ लगभग एक *नया था*। पूरे मामले की सुनवाई और जिसमें उतना ही समय लगने की संभावना थी जितना पहले ही इस पर खर्च किया जा चुका है। चूंकि यह मामला एक महत्वपूर्ण मामला है और महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा कवर किए गए पूरे क्षेत्र को महाधिवक्ता, पंजाब द्वारा फिर से कवर किया जाना है, इसलिए हम इसे वांछनीय मानते हैं कि इस मुद्दे पर एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाए।

इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि इस मामले के कागजात एक बड़ी पीठ के गठन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं।

श्री एम.एस.जैन को निर्देश दिया जाता है कि वह पंजाब के महाधिवक्ता को विविध आवेदन की प्रति प्रदान करें। पंजाब के डिप्टी एडवोकेट जनरल आरके महाजन ने पंजाब के एडवोकेट जनरल की ओर से नोटिस स्वीकार किया।

इस प्रकार मामले को निपटान के लिए हमारे समक्ष रखा गया है।

(3) विद्वान वकील के तर्कों की सराहना करने के लिए, भारत के संविधान की विभिन्न सूचियों में होने वाली विभिन्न प्रविष्टियों का उल्लेख करना आवश्यक होगा। संगत प्रविष्टियां नीचे दी गई हैं -

सूची I-संघ सूची

77. उच्चतम न्यायालय का संविधान, संगठन, क्षेत्राधिकार और शक्तियां (ऐसी अदालत की अवमानना सहित), और उसमें ली गई फीस; ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष वकालत करने के हकदार हैं।

78. उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन (छुट्टियों सहित); ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालयों के समक्ष वकालत करने के हकदार हैं।

95. इस सूची के किसी भी विषय के संबंध में उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां; एडमिरल्टी अधिकार क्षेत्र।

सूची II- राज्य सूची

3. न्याय का प्रशासन; सभी न्यायालयों का गठन और संगठन; सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर; उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी; किराया और राजस्व अदालतों में प्रक्रिया; सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी अदालतों में ली जाने वाली फीस।

65. इस सूची के किसी भी विषय के संबंध में उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां।

सूची III- समवर्ती सूची

13. सिविल प्रक्रिया, जिसमें इस संविधान के प्रारंभ में नागरिक प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामले, सीमा और मध्यस्थता शामिल हैं।

46. इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां।

संविधान में 42वें संशोधन के पश्चात् सूची II के मद 3 में परिवर्तन किया गया है, जो निम्नानुसार है -

"3. उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी; किराया और राजस्व अदालतों में प्रक्रिया; सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी अदालतों में ली जाने वाली फीस।

उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप, सूची III (समवर्ती सूची) में मद 11-क को जोड़ा गया है जो निम्नलिखित प्रभाव का है -

"11-ए न्याय का प्रशासन; सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी अदालतों का गठन और संगठन।

(4) इस स्तर पर भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची में दी गई सूचियों में प्रविष्टियों का भी संदर्भ दिया जा सकता है, क्योंकि संविधान में होने वाली विभिन्न सूचियों

में विषयों की गणना में पर्याप्त विचलन हुआ है। 1935 के अधिनियम की संगत प्रविष्टियां निम्नानुसार हैं -

सूची I - संघीय विधायी सूची

53. इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में और इस अधिनियम के भाग IX द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत सीमा तक संघीय न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां, संघीय न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार, और उस पर पूरक शक्तियां प्रदान करना।

सूची II - प्रांतीय विधायी सूची

1. सार्वजनिक व्यवस्था (लेकिन नागरिक शक्ति की सहायता में महामहिम की नौसेना, सैन्य या वायु सेना के उपयोग को शामिल नहीं); न्याय का प्रशासन; संघीय न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, और उसमें ली गई फीस; सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध; व्यक्ति को इस तरह की हिरासत में रखा जाता है।

2. इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में संघीय न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां; किराया और राजस्व न्यायालयों में प्रक्रिया।

सूची III - समवर्ती विधायी सूची

15. सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां, इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में संघीय न्यायालय को निर्यात करें।

(5) ऊपर निर्धारित विधायी मदों पर विचार करने से पता चलेगा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन संघीय न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का न्याय, गठन और संगठन का प्रशासन, राज्य का विषय था और कानून बनाना राज्य विधानमंडल की योग्यता के अंतर्गत

था। यह स्थिति 26 जनवरी, 1950 तक जारी रही जब भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान में, सूची II की प्रविष्टि 3 के तहत, उच्च न्यायालय का गठन और संगठन राज्य का विषय नहीं रहा जैसा कि संविधान के लागू होने से पहले था। संविधान के तहत, सूची 1 में प्रविष्टि 78 उच्च न्यायालय के संविधान और संगठन (छुट्टियों सहित) के बारे में बात करती है। इस प्रविष्टि से, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का गठन और संगठन संसद का विषय बन गया और राज्य के विषय के दायरे में नहीं रहा। सूची I की प्रविष्टि 77 के तहत, संविधान और संगठन, अधिकार क्षेत्र और उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एक केंद्रीय विषय हैं। सूची I में, प्रविष्टि संख्या 95 सूची I के किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों की बात करती है। सूची II में प्रविष्टि 65 सूची II के किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों की बात करती है। सूची II में प्रविष्टि 46 सूची III के किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों की बात करती है।

(6) इस स्तर पर, संविधान के निकाय में निहित उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन से संबंधित कुछ प्रावधानों को संदर्भित करना उपयोगी हो सकता है।

(7) अनुच्छेद 214 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत होगी और उसके पास ऐसी अदालत की सभी शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे, अनुच्छेद 217 नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा की शर्तों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 220 एक न्यायाधीश पर उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगाता है, जिस पर

उसने अध्यक्षता की है। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 225 मौजूदा उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है और इसे संदर्भ की सुविधा के लिए पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि इस अनुच्छेद के आधार पर कुछ तर्क दिए गए थे-

"225. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और इस संविधान द्वारा उस विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों, किसी विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता और उसमें प्रशासित विधि और न्यायालय में न्याय प्रशासन के संबंध में उसके न्यायाधीशों की संबंधित शक्तियों के आधार पर बनाए गए उपयुक्त विधान-मंडल के किसी कानून के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इसमें न्यायालय के नियम बनाने और न्यायालय की बैठकों और अकेले या डिवीजन न्यायालयों में बैठे सदस्यों की बैठकों को विनियमित करने की कोई भी शक्ति शामिल है, जो इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले की तरह होगी।

(8) अनुच्छेद 226 कतिपय रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को उन सभी क्षेत्रों में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी भी मामले को वापस लेने का अधिकार देता है, इस बात से संतुष्ट होने पर कि मामले में संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और मामले को स्वयं निपटाने या कानून के सवाल का निर्धारण करने पर, इसे उस अदालत को वापस करने के लिए जहां से मामला वापस ले लिया गया था, उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप निपटान किया जाना।

अनुच्छेद 229 अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियों और उच्च न्यायालयों के खर्चों के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 230 संसद को विधि द्वारा, किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने या किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 231 संसद को दो या अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है।

(9) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा संविधान के विभिन्न प्रावधानों और विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों का इस प्रकार संदर्भ दिया गया था।

(10) आवेदकों के विद्वान वकील श्री एमएस जैन का मुख्य तर्क यह था कि इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक कानून राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर नहीं था; कि इस न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल संसद के पास थी और यह मामला संविधान की छठी अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 78 और 95 द्वारा कवर किया गया था; यह कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और शक्ति पहले सूची II की प्रविष्टि 3 में उल्लिखित 'न्याय प्रशासन' के विधायी विषय के अंतर्गत नहीं आती थी, और अब समवर्ती सूची III की प्रविष्टि 11-ए (संविधान में 42 वें संशोधन के बाद) द्वारा कवर की गई है; कि "न्याय प्रशासन" शब्द को उन न्यायालयों के संबंध में पढ़ा जाना चाहिए जिन्हें गठित करने और संगठित करने के लिए राज्य विधानमंडल सक्षम था, और यह कि लागू किए गए अधिनियमों को सूची II की प्रविष्टि 65 और सूची III की प्रविष्टि 46 के आधार पर नहीं बचाया गया था, क्योंकि इन प्रविष्टियों ने राज्य विधानमंडल को न्यायालयों को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का अधिकार दिया था, सूची II और सूची III में उल्लिखित किसी विशेष विधायी विषय के संबंध में उच्च न्यायालय सहित, जिस पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है।

(11) इस तर्क के समर्थन में कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को विनियमित करने वाला कोई भी कानून उसके संविधान और संगठन के संबंध में एक कानून है और इसलिए, संघ सूची के क्षेत्र के तहत एक कानून, बॉम्बे *राज्य* बनाम *नरोत्तमदास जेठा भाई और अन्य* [(1)] में सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा का संदर्भ दिया गया था। श्री जैन के अनुसार, *नरोत्तमदास जेठा भाई के मामले* में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह निर्विवाद बनाता है कि संघ सूची की 78 वीं प्रविष्टि में निहित "संविधान और संगठन" शब्द उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र पर संसद द्वारा कानून को अधिकृत करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं और इसके विपरीत कोई भी दृष्टिकोण उक्त निर्णय के विपरीत होगा।

(12) इस तर्क की सराहना करने के लिए, उपरोक्त मामले के तथ्यों को संक्षेप में नोटिस करना आवश्यक होगा। उस मामले में, तत्कालीन बॉम्बे प्रांत के प्रांतीय विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिक वैधता, जिसे बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट एक्ट (1948 का अधिनियम एक्सएल) कहा जाता है, पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सवाल उठाया गया था। उस अधिनियमन के प्रावधानों के तहत, ग्रेटर बॉम्बे के लिए एक अदालत की स्थापना की गई जिसे बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट के रूप में जाना जाता है। उस अधिनियम की धारा 3 द्वारा, राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा यह प्रावधान करने के लिए अधिकृत किया गया था कि नए न्यायालय के पास धारा में निर्दिष्ट कुछ प्रकार के मुकदमों को छोड़कर ग्रेटर बॉम्बे के भीतर उत्पन्न होने वाले 10,000 रुपये से अधिक मूल्य के सभी मुकदमों और अन्य कार्यवाहियों को प्राप्त करने, प्रयास करने और निपटाने का अधिकार होगा। धारा 12 ने उच्च न्यायालय को शहर के सिविल न्यायालयों द्वारा संज्ञेय मुकदमों की सुनवाई करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया।

(13) राज्य सरकार द्वारा उस अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्राधिकृत अधिसूचना की घोषणा के बाद, एक वाद, जो नए न्यायालय द्वारा संज्ञेय था, बंबई उच्च न्यायालय में स्थापित किया

गया था, उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपत्ति उठाई गई थी कि बॉम्बे प्रांत के प्रांतीय विधानमंडल के पास मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित करने के लिए कानून बनाने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी। इस प्रकार उच्च न्यायालय में उचित रूप से स्थापित किया गया था। डिवीजन बेंच ने याचिका को बरकरार रखा और मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटारे के लिए चैंबर्स में विद्वान न्यायाधीश के पास भेज दिया।

(14) बॉम्बे राज्य ने डिवीजन बेंच के आदेश से सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील सफल रही। पीठ का गठन करने वाले विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पांच अलग-अलग निर्णय लिखे गए थे। न्यायमूर्ति फजल अली, न्यायमूर्ति महाजन और न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा कि सूची 2 की प्रविष्टि 1 के तहत "न्याय का प्रशासन" और "सभी न्यायालयों का गठन और संगठन" प्रांतीय विधानमंडल द्वारा स्थापित सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने की शक्ति को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं। यह भी कहा गया था कि सूची I, II और III की प्रविष्टि 53, 2 और 15 का उद्देश्य क्रमशः संघीय और प्रांतीय विधानसभाओं को विशेष शक्तियां प्रदान करना था ताकि वे सूची I और II में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित कानून बना सकें और सूची III में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए संघीय और प्रांतीय विधायिकाओं को समवर्ती शक्ति प्रदान कर सकें।

(15) न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री और न्यायमूर्ति दास ने विशेष और सामान्य क्षेत्राधिकार के बीच इस अंतर को स्वीकार नहीं किया, और माना कि इस सूची (प्रविष्टि 2 सूची II) में सभी मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की शक्ति में प्रविष्टि 1, सूची II में "न्याय के प्रशासन" के संबंध में न्यायालयों को सामान्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की शक्ति शामिल है और सूची I की प्रविष्टि 53 के साथ किसी भी स्पष्ट संघर्ष को निम्नलिखित सिद्धांत को लागू करके हल किया जाएगा? पिथ और पदार्थ।

(16) न्यायमूर्ति महाजन द्वारा दिए गए निर्णय में, यह देखा गया था कि न्यायालयों के गठन और संगठन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति के साथ ऐसे न्यायालयों को सामान्य क्षेत्राधिकार प्रदान करने की शक्ति है, क्योंकि शक्ति और अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय के लिए यह एक विसंगति होगी। न्यायमूर्ति मुखर्जी ने भी यही विचार व्यक्त किया और कहा कि अदालत के गठन में आवश्यक रूप से उसका अधिकार क्षेत्र शामिल है।

(17) अब बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट एक्ट, 1948 संविधान के प्रारंभ से पहले बनाया गया एक कानून था। अत, प्रश्न यह था कि क्या उस विधान का विषय प्रांतीय विधायी सूची में था या संघीय विधायी सूची में था, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची I और II थी। जबकि बॉम्बे राज्य द्वारा किया गया दावा यह था कि कानून का विषय प्रांतीय विधायी सूची की पहली प्रविष्टि के भीतर था और इसलिए, प्रांतीय विधायिका को सौंपे गए विधायी क्षेत्र के भीतर, वादी के लिए तर्क यह था कि संघीय विधायी सूची की 53 वीं प्रविष्टि प्रासंगिक प्रविष्टि थी और संघीय विधायिका के पास अकेले लागू कानून बनाने की क्षमता थी।

(18) पांच अलग-अलग निर्णय देने वाले सभी पांच विद्वान न्यायाधीशों का सर्वसम्मति से विचार था कि लागू कानून का विषय प्रांतीय विधायी सूची में था और संघीय सूची में नहीं था।

(19) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री जैन द्वारा हम पर जो दबाव डाला गया था, वह यह था कि पांच विद्वान न्यायाधीशों में से प्रत्येक द्वारा प्रांतीय सूची की पहली प्रविष्टि की व्याख्या उनके इस तर्क का समर्थन करती है कि उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक कानून उन न्यायालयों के गठन और संगठन से संबंधित कानून है। इसलिए, संघ सूची की 78 वीं प्रविष्टि द्वारा अधिकृत एक कानून, न कि राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि द्वारा।

(20) *नरोत्तमदास जेठा भाई* के मामले में उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा की गई

टिप्पणियों के आलोक में पूरे मामले पर अपना विचारशील विचार करने के बाद, मैं श्री जैन द्वारा की गई दलील से सहमत होने में असमर्थ हूं।

(21) श्री जैन द्वारा अपनाए गए रुख की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए, थोड़ी जांच आवश्यक है जिसमें न केवल 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सूची की पहली प्रविष्टि की तुलना संविधान की राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि के साथ की जानी चाहिए; लेकिन यह भी आवश्यक होगा कि सूची I की प्रविष्टि 77 और 78 और सूची II की प्रविष्टि 3 (जैसा कि यह संविधान के 42 वें संशोधन से पहले मौजूद था) पर क्या व्याख्या की जानी चाहिए। आगे यह देखना आवश्यक होगा कि क्या प्रविष्टि 78 में निहित 'संविधान और संगठन' शब्द में इस न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने की शक्ति भी शामिल होगी।

(22) तुलना से, यह स्पष्ट होगा कि प्रांतीय सूची की पहली प्रविष्टि केवल राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि से मेल खाती है। राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि की संरचना और संरचना प्रांतीय सूची की पहली प्रविष्टि के समान नहीं है। प्रांतीय सूची के तहत, यह न केवल न्याय के प्रशासन पर बल्कि उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन के संबंध में भी कानून बनाने के लिए विधायी योग्यता के भीतर था। लेकिन अब उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन के विषय को राज्य सूची से संघ सूची की प्रविष्टि 78 में स्थानांतरित कर दिया गया है। सूची-I के अंतर्गत, प्रविष्टि 77 के अवलोकन से पता चलेगा कि यह सभी व्यापक है ताकि उच्चतम न्यायालय से संबंधित सभी विषयों पर विचार किया जा सके। लेकिन उच्च न्यायालय से संबंधित मद 78 के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि उस मद में क्षेत्राधिकार और शक्तियों के विषय को स्थान नहीं मिलता है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का विषय सूची I के किसी भी अन्य मद में शामिल नहीं पाया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि सूची I की प्रविष्टि 95 के तहत, उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां सूची I में किसी भी मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र और

शक्तियों तक ही सीमित हैं। इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि, उच्च न्यायालय के संबंध में एक सामान्य विषय के रूप में अधिकार क्षेत्र और शक्तियां सूची I में शामिल हैं ताकि संसद को उस पर कानून बनाने की विशेष शक्तियां मिल सकें। विचार-विषय। इसके अलावा, सूची II की प्रविष्टि 65 उस सूची में वर्णित मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने की अनुमति देती है। सूची III की प्रविष्टि 46 उस सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में विधान बनाने की भी अनुमति देती है। ये सभी प्रविष्टियां उच्चतम न्यायालय को छोड़कर उच्च न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार और शक्तियों से संबंधित हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, सामान्य रूप से क्षेत्राधिकार और शक्तियों के विषय का किसी भी प्रविष्टि में अलग से उल्लेख नहीं किया गया है; लेकिन एक अलग विषय के रूप में 'न्याय प्रशासन' को सूची II की प्रविष्टि 3 (अब सूची III की प्रविष्टि 11-ए) में स्थान मिलता है।

(23) जैसा कि पहले देखा गया है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है। इसलिए, जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने की योग्यता 'न्याय प्रशासन' अभिव्यक्ति से या 'संविधान और संगठन' अभिव्यक्ति से प्रवाहित होनी चाहिए। इस प्रश्न से निपटने से पहले, 'न्याय प्रशासन' अभिव्यक्ति के अर्थ को समझना आवश्यक होगा। इस प्रयोजन के लिए, *नरोत्तमदास जेठाभाई के मामले* (सुप्रा) में कुछ विद्वान न्यायाधीशों की टिप्पणियों का उल्लेख करना उपयोगी होगा , जो प्रांतीय सूची की प्रविष्टि 1 के दायरे का निर्माण करते हुए की गई थीं, जिसमें 'न्याय प्रशासन' और 'न्यायालयों का संविधान और संगठन' सभी शब्दों को शामिल किया गया है। इस संबंध में, फजल अली, न्यायमूत, ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

"सूची 2 की प्रविष्टि 1 में उपयोग किए गए शब्दों के आधार पर, प्रांतीय विधायिका अपने द्वारा गठित अदालतों को हर कारण या मामले की सुनवाई करने के लिए शक्ति और अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश कर सकती है जिसे नागरिक या आपराधिक क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा निपटाया जा सकता है और 'न्याय प्रशासन' अभिव्यक्ति में अनिवार्य रूप से सिविल और आपराधिक प्रकृति के मुकदमों और कार्यवाही की सुनवाई करने की शक्ति शामिल होनी चाहिए। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि मुकदमे या कार्यवाही के पक्षकार कौन हैं या इसकी विषय-वस्तु क्या हो सकती है। इस शक्ति में आवश्यक रूप से अदालतों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने, बढ़ाने, बदलने, संशोधित करने और कम करने और उनके अधिकार क्षेत्र को क्षेत्रीय और आर्थिक रूप से परिभाषित करने की शक्ति शामिल होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति महाजन ने अपने द्वारा लिखे गए निर्णय में इस प्रकार टिप्पणी की: -

"न्याय प्रशासन को एक प्रांतीय विषय बनाकर और इस विषय पर और न्यायालयों के गठन और संगठन के विषय पर भी कानून बनाने के लिए प्रांतीय विधानमंडल शक्ति प्रदान करके, संसद ने उस विधायिका को एक प्रभावी शक्ति प्रदान की जिसमें उसके दायरे में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति शामिल थी।

(24) न्यायमूर्ति एसआर दास, जिन्होंने एक अलग निर्णय लिखा है, ने भी 'न्याय प्रशासन' शब्द को एक समान अर्थ दिया है, जहां न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकृत करने वाला कोई अलग प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि 'न्याय प्रशासन' शब्द को संकीर्ण नहीं बल्कि व्यापक अर्थों में माना गया है। ऐसा होने पर, 7वीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 3 में निहित 'न्याय प्रशासन' शब्द का भी व्यापक अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि राज्य विधानमंडल को न्याय प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जा सके।

(25) आवेदक के विद्वान वकील द्वारा अपने इस तर्क को सामने लाने के लिए बहुत सारे तर्क दिए गए थे कि "न्याय प्रशासन" विषय के तहत, राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय को न्याय के प्रशासन के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के साथ निवेश करने के लिए सक्षम नहीं था और यह केवल संविधान और संगठन के विषय के तहत था कि संसद उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में कानून बना सकती थी। इस तर्क को यह कहते हुए पुष्ट किया गया था कि सूची II की प्रविष्टि 3 के विषय का उच्च न्यायालय में न्याय प्रशासन के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं थी। विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया था कि 'प्रविष्टि 3 में होने वाली 'न्याय प्रशासन' एक अलग विषय नहीं है और केवल बाद के विषय से जुड़ा हुआ है जो राज्य में न्यायालयों के गठन और संगठन की बात करता है और यह कि प्रविष्टि 3 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्याय के प्रशासन पर कानून को उसी तरह से अधिकृत नहीं करती है जिस तरह से यह है, संविधान और संगठन पर कानून बनाने पर रोक लगाता है। मुझे डर है, मैं विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हूं। प्रविष्टि 3 में 'न्याय प्रशासन' शब्दों के बाद, एक अर्ध-विराम है और इस विराम चिह्न को अनुचित होने के रूप में नहीं छोड़ा जा सकता है। विराम चिह्न को इस विषय को अलग बनाने के एक निश्चित उद्देश्य के साथ रखा गया है और केवल उसके बाद आने वाले विषय से संबंध नहीं है। यदि अर्ध-बृहदान्त्र की शुद्धि को अनुचित माना जाता है, तो प्रविष्टि में "सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के न्याय संविधान और संगठन का प्रशासन" लिखा जा सकता है। जाहिर है, यह न केवल एक बेतुका पठन प्रतीत होगा, बल्कि भाषा को दोषपूर्ण और व्याकरणिक दोनों बना देगा। इसलिए, मुझे इस निष्कर्ष से कोई बचने का मौका नहीं मिलता कि प्रविष्टि 3 में होने वाला 'न्याय प्रशासन' एक अलग विषय है।

(26) इसके अलावा, संविधान निर्माताओं ने उच्च न्यायालय के संविधान और संगठन को राज्य के साथ छोड़ने की इच्छा नहीं की। प्रांतीय सूची की प्रविष्टि 1 से सूची II की प्रविष्टि 3 में

किया गया परिवर्तन उच्च न्यायालयों के 'संविधान और संगठन' के विषय को हटाने और इसे संसद की एकमात्र योग्यता के भीतर लाने के लिए किया गया था। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में 'संगठित' शब्द का अर्थ 'स्थापित करना', 'अपने उचित कार्यों के सामान्य अभ्यास के लिए व्यवस्था करना' है। 'गठन' शब्द 'स्थापित करने' का अर्थ भी बताता है। बैलेंटाइन के विधि कोश में संगठन शब्द को दिया गया अर्थ इस प्रकार है :-

> "..... उन भागों को उपयुक्त स्वभाव में बनाने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जो एक साथ कार्य करते हैं, और वस्तुओं, यौगिक शरीर को परिभाषित करते हैं।

यदि यह 'संविधान और संगठन' की अवधारणा है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकार क्षेत्र और शक्ति 'संविधान और संगठन' से स्वचालित रूप से प्रवाहित होगी। प्रविष्टि 78 में, केवल 'संविधान और संगठन' शब्द का उपयोग किया गया है। यदि संविधान निर्माताओं ने उच्च न्यायालयों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल की योग्यता को छीनने का इरादा किया था, तो प्रविष्टि 78 को प्रविष्टि 77 के समान भाषा में कहा गया होगा जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। प्रविष्टि 78 से 'अधिकार क्षेत्र और शक्तियों' की अभिव्यक्ति का हटना सार्थक है। यह मेरी समझ से परे है कि संविधान निर्माता प्रविष्टि 78 में होने वाले 'संविधान और संगठन' अभिव्यक्ति में 'अधिकार क्षेत्र और शक्तियों' के विषय को शामिल करने का इरादा रखते थे, खासकर जब प्रविष्टि 77 में 'अधिकार क्षेत्र और शक्तियों' शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया था।

(27) इसके अतिरिक्त, मैं श्री जैन से सहमत नहीं हूं कि जिस व्याख्या की उन्होंने वकालत की है, यदि उसे संविधान और संगठन की अभिव्यक्ति पर नहीं डाला जाता है, तो प्रविष्टि 78 में दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय का गठन और आयोजन करते समय, इस प्रकार गठित उच्च न्यायालय केवल एक ऐसा निकाय होगा जिसके पास प्रयोग करने के

लिए कोई क्षेत्राधिकार या शक्ति नहीं होगी। संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के अवलोकन से, जिन्हें निर्णय के पहले भाग में देखा गया है, यह स्पष्ट होगा कि संविधान स्वयं उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करता है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली संविधान द्वारा दी गई शक्तियों को राज्य विधानमंडल द्वारा छुआ नहीं जा सकता है जो संविधान के निकाय में प्रदान की गई सामान्य शक्तियों और उच्च न्यायालय की अधिकारिता और क्षेत्राधिकार के अधीन न्याय प्रशासन के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता और शक्तियों को परिभाषित करने वाला कानून अधिनियमित करने के लिए सक्षम होगा। इसके अलावा, राज्य विधानमंडल की शक्ति की एक और सीमा है, जैसा कि सूची I की प्रविष्टि 95 द्वारा दर्शाया गया है, जो संसद को सूची I में विनिदष्ट किसी भी मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों (उच्च न्यायालयों सहित) के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित और विनियमित करने के लिए कानून पारित करने की शक्ति देता है।

(28) मामले को दूसरे कोण से देखा जा सकता है। विद्वान वकील श्री जैन द्वारा अपनाया गया रुख यह था कि सूची II की प्रविष्टि 3 और अब सूची III की प्रविष्टि 11-A में 'न्याय प्रशासन' शब्द को उन न्यायालयों के संबंध में पढ़ा जाना चाहिए जिन्हें राज्य विधानमंडल गठित और व्यवस्थित करने के लिए सक्षम है और 'न्याय का प्रशासन' विषय के तहत विधायी योग्यता को उन उच्च न्यायालयों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जिन्हें राज्य विधायिका गठित या व्यवस्थित नहीं कर सकती है। इस स्तर पर यह इंगित किया जा सकता है कि विद्वान वकील द्वारा बहस के दौरान यह कभी भी विवादित नहीं था कि 'न्याय प्रशासन' विषय के तहत राज्य विधानमंडल के पास राज्य में अदालतों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने की योग्यता थी; बल्कि यही उनका तर्क था। इसलिए, विद्वान वकील के इस रुख पर, एकमात्र तथ्य यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या 'न्याय प्रशासन' एक अलग विषय है या इसका संबंध केवल अदालतों के 'संविधान और संगठन' के बाद के विषय से है।

एक बार जब यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि 'न्याय का प्रशासन' एक विशिष्ट विषय है, तो विद्वान वकील के तर्क पर राज्य विधानमंडल के पास उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में भी कानून बनाने की योग्यता होगी। जैसा कि निर्णय के पहले भाग में चर्चा से स्पष्ट है, यह विशेष रूप से मेरे द्वारा माना गया है कि 'न्याय का प्रशासन' एक अलग विषय है। ऐसा होने पर, विद्वान वकील की दलील पर, यह सीधे कहा जा सकता है कि सूची II की प्रविष्टि 3 के तहत, अब सूची III की प्रविष्टि 11-ए, राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम है।

(29) श्री जैन ने *नरोत्तमदास जेठाभाई के मामले* (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर उनके इस तर्क के समर्थन में बहुत भरोसा किया कि संविधान और संगठन की अभिव्यक्ति कुछ सामान्य क्षेत्राधिकार की अवधारणा को अपने साथ रखती है, यह देखते हुए कि विधिवत रूप से स्थापित कानून के न्यायालय तब तक कार्य नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें कुछ सामान्य अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया जाता है। मैंने इस मामले के इस पहलू पर बहुत गहराई से विचार किया है और मेरा सुविचारित विचार है कि *नरोक्तमदास जेठाभाई के मामले* (सुप्रा) में उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा प्रांतीय सूची की प्रथम प्रविष्टि में उच्च न्यायालयों के संविधान और संगठन शब्द को जो अर्थ दिया गया है, वह संघ सूची की 78वीं प्रविष्टि में आने वाले उन शब्दों को दिया जाना जारी नहीं रह सकता है। *नरोत्तमदास जेठाभाई के मामले* (सुप्रा) में, प्रांतीय सूची की प्रविष्टि 1 विचाराधीन थी। जैसा कि निर्णय के पूर्व भाग में बताया गया है, प्रांतीय सूची की प्रविष्टि 1 की राज्य सूची की प्रविष्टि 3 के साथ तुलना करने से पता चलेगा कि प्रांतीय सूची की प्रविष्टि 1 की संरचना और संरचना में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। प्रांतीय सूची की पहली प्रविष्टि के तहत, विधायिका न केवल न्याय प्रशासन पर कानून बनाने के लिए सक्षम थी, बल्कि उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन के संबंध में कानून बनाने की भी हकदार थी, उस फैसले में, यह देखा गया है कि न्याय के प्रशासन की प्राथमिक सामग्री अधिकार क्षेत्र और न्यायिक शक्ति का प्रयोग है; और 'न्याय के प्रशासन' की

व्याख्या इसके व्यापक अर्थों में की गई है। ऐसा होने पर, प्रविष्टि 3 में होने वाली 'न्याय प्रशासन' अभिव्यक्ति को समान अर्थ न देने और संघ सूची की 78 वीं प्रविष्टि की व्याख्या केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उन हिस्सों से खोजने का कोई औचित्य नहीं होगा, जो उच्च न्यायालय के गठन और संगठन के संबंध में विधायी क्षेत्र को परिभाषित करते हैं।

(30) इस स्तर पर, मैं *ओएन महेंद्रू* बनाम *बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और अन्य* के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करूंगा, जहां संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची । में प्रविष्टि 77 और 78 और सूची III में प्रविष्टि 26 के दायरे के बारे में प्रश्न उठाया गया था। उस मामले के तथ्य यह थे कि अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा ओ.एन.महेंद्रू, वकील (इसके बाद अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित) के खिलाफ इस आशय की शिकायत की गई थी कि अपने न्यायालय के समक्ष लंबित एक मध्यस्थता मामले में अदालत के रिकॉर्ड का निरीक्षण करते समय, उन्होंने जानबूझकर उस रिकॉर्ड में एक नोटिस की प्रति को फाड़कर विकृत कर दिया था। उस शिकायत के आधार पर, जिला न्यायाधीश, दिल्ली ने 1961 के अधिवक्ता अधिनियम 25 के तहत कार्रवाई करने के लिए दिल्ली राज्य बार काउंसिल के समक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ एक रिपोर्ट दायर की। उक्त परिषद की अनुशासन समिति ने उन्हें पेशेवर कदाचार का दोषी पाया और उन्हें एक साल के लिए निलंबित करने का आदेश दिया। अपीलकर्ता द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष धारा 37 के तहत दायर अपील विफल रही। धारा 38 के तहत दूसरी अपील भी विफल रही। इसके बाद अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की। अपनी रिट याचिका की सुनवाई में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 38 संविधान के अनुच्छेद 138 (2) के *दायरे से बाहर* है , जहां तक धारा 38 द्वारा न्यायालय को प्रदत्त अपीलीय अधिकार क्षेत्र सूची III में प्रविष्टि 26 के तहत आता है और भारत सरकार और किसी भी राज्य की सरकार के बीच कोई विशेष समझौता नहीं है जैसा कि अनुच्छेद 138 के खंड (2) द्वारा आवश्यक है। धारा 38 को अवैध रूप से अधिनियमित किया गया था। पूरे मामले

पर विचार करने पर, रिट याचिका की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने तर्क में कोई दम नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया।

(31) अपीलकर्ता द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील भी विफल रही। इसके बाद अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति द्वारा एक अपील दायर की, जहां विचार के लिए आने वाला प्रश्न सूची 1 की प्रविष्टि 77 और 78 और सूची 3 की प्रविष्टि 26 की व्याख्या का था। अलग-अलग सूचियों में होने वाली प्रविष्टियों का किस प्रकार अर्थ लगाया जाना चाहिए, यह इस प्रकार देखा गया था -

"यह निर्माण का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त नियम है कि न्यायालय को प्रविष्टियों का निर्माण करते समय यह मानना चाहिए कि तीन सूचियों में विधायी शक्तियों का वितरण एक दूसरे के साथ संघर्ष में नहीं हो सकता है। एक सामान्य शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह एक ही साधन द्वारा प्रदत्त किसी विशेष शक्ति को शून्य कर दे और उसी क्षेत्र में काम करे, जबकि पहले को अधिक प्रतिबंधित अर्थों में पढ़कर, उत्तरार्द्ध को उसके सामान्य और प्राकृतिक अर्थ में प्रभाव दिया जा सकता है। अत, यह विचार करना सही है कि क्या एक सूची में प्रविष्टि की भाषा को वह अर्थ देकर उचित मेल-मिलाप नहीं किया जा सकता है, जो अन्य संदर्भ में उससे कम व्यापक होने पर भी उसे उचित रूप से दिया जा सकता है और दूसरी सूची में दूसरी प्रविष्टि की भाषा को भी समान रूप से एक अर्थ दिया जा सकता है जिसे वह उचित रूप से सहन कर सकती है। जहां एक सूची में एक प्रविष्टि और दूसरी सूची में दूसरी प्रविष्टि के बीच टकराव प्रतीत होता है, तो यह देखने के लिए हमेशा बचने का प्रयास किया जाना चाहिए कि क्या अधिकार क्षेत्र के इस तरह के टकराव से बचने के लिए दो प्रविष्टियों को सुसंगत किया जा सकता है.....

निर्माण के उपर्युक्त सिद्धांतों को निर्धारित करने के बाद, उनके लॉर्डशिप ने न्यायालयों के गठन और संगठन और उनके अधिकार क्षेत्र और शक्तियों और उसके तहत परिकल्पित योजना से संबंधित विभिन्न प्रासंगिक प्रविष्टियों की सामग्री की जांच की और इस प्रकार टिप्पणी की: -

"न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र और शक्तियां प्रदान करने की योजना (ए) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार न्यायालयों, संघीय और राज्य न्यायालयों के दोहराव से बचने के लिए है, (बी) संसद और राज्य विधानसभाओं को सर्वोच्च न्यायालय के मामले को छोड़कर अपनी संबंधित सूचियों के मामलों के संबंध में न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने में सक्षम बनाना है, जहां अधिकार क्षेत्र और शक्तियां प्रदान करने का विधायी अधिकार विशेष रूप से संसद में निहित है। समवर्ती सूची के मामले में, दोनों विधायिका उच्चतम न्यायालय को छोड़कर न्यायालयों को क्षेत्राधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकती हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अधिनियम एक या दूसरे द्वारा अधिनियमित किया गया है या नहीं। सूची II की प्रविष्टि 3 'न्याय प्रशासन' के मामले में राज्यों को विधायी शक्तियां प्रदान करती है; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन; उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी; सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी अदालतों में किराया और राजस्व अदालतों की फीस लेने की प्रक्रिया। यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के संविधान और संगठन को छोड़कर न्याय प्रशासन के मामले में विधायी शक्ति राज्य विधानमंडलों में निहित है। इसलिए, राज्य विधानमंडल कानून अधिनियमित कर सकते हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर न्यायालयों के गठन और संगठन का प्रावधान है और एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार को छोड़कर सभी मामलों में सिविल और आपराधिक मामलों में उन्हें अधिकार क्षेत्र और शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। निस्संदेह, यह संसद के लिए खुला होगा कि वह सूचियों में दिए गए

मामलों में विशेष अधिनियमन द्वारा ऐसे किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाए..... I और III जहां इसने एक कानून बनाया है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक राज्य विधानमंडलों द्वारा स्थापित न्यायालयों के पास सूची I और III के मामलों से संबंधित सभी मुकदमों और कार्यवाहियों का विचारण करने का अधिकार होगा। इस प्रकार, जहां तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन का संबंध है, यह शक्ति संसद के पास है। जहां तक अन्य न्यायालयों का संबंध है, सूची II की प्रविष्टि 3 राज्य विधानमंडलों को ऐसी शक्ति प्रदान करती है। जहां तक क्षेत्राधिकार और शक्तियों का संबंध है, यह संसद है जो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों तथा एडमिरल्टी क्षेत्राधिकार से निपट सकती है। संसद सूची I और सूची III में निर्धारित मामलों में सभी न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र और शक्तियां प्रदान कर सकती है जहां उसने कोई कानून पारित किया है। लेकिन सूची II की *प्रविष्टि* 3 के तहत उसे *दी गई शक्ति के तहत*, एक *राज्य विधानमंडल सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय को किसी भी क़ानून के संबंध में क्षेत्राधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकता है, चाहे वह उसके द्वारा अधिनियमित हो या संसद द्वारा, सिवाय इसके कि सूची I और III में मामलों से निपटने वाला एक केंद्रीय अधिनियम अन्यथा प्रदान करता है*। इस तरह की योजना पर विचार करने वाली इन प्रविष्टियों को बॉम्बे *राज्य* बनाम *नरोत्तमदास* ([1] सुप्रा में लाया गया था, जहां यह तर्क दिया गया था कि उक्त सिविल कोर्ट को एक अतिरिक्त अदालत के रूप में गठित करने वाला बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट एक्ट, 1948 का 40 प्रांतीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से *बाहर* था क्योंकि यह न केवल भारत सरकार की सातवीं अनुसूची की सूची II में मामलों के संबंध में नई अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। अधिनियम, 1935, लेकिन सूची I के मामलों के संबंध में भी जैसे कि सूची I के आइटम 8 में वचन पत्र नोट। इस तर्क को खारिज करते हुए यह कहा गया कि लागू

अधिनियम सूची II में उल्लिखित मामले के संबंध में एक कानून था और 'न्याय के प्रशासन' और 'सभी न्यायालयों के गठन और संगठन' के संबंध में कानून बनाने के लिए प्रांतीय विधानमंडल की शक्ति के रूप में नहीं था। सूची II प्रांतीय विधायिका द्वारा स्थापित अदालतों के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने की शक्ति को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक थी; कि सूची I के आइटम 53, सूची II के आइटम 2 और सूची III के आइटम 15 का उद्देश्य केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों को उन विशेष मामलों के संबंध में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित कानून बनाने के लिए ऐसी शक्तियां प्रदान करना था जो क्रमशः सूची I और II और समवर्ती सूची में निर्दिष्ट हैं। और यह कि इन उपबंधों ने सूची-II के मद I के अधीन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के संबंध में कानून बनाने और उसके द्वारा स्थापित न्यायालयों को सिविल प्रकृति के सभी कारणों का विचारण करने के लिए क्षेत्राधिकार प्रदान करने की प्रांतीय विधायिका की शक्ति को किसी भी तरह से कम नहीं किया है, जो सूचियों में निर्दिष्ट विशेष विषयों से संबंधित विशेष उपबंध करने के लिए केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों की शक्ति के अधीन है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1935 के अधिनियम की सातवीं अनुसूची में सूची 1 में आइटम 53, सूची 2 में आइटम 1 और 2 और सूची 3 में आइटम 15 कमोबेश संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 77, 78 और 95, सूची 2 में प्रविष्टि 3 और 65 और सूची 3 में प्रविष्टि 46 के अनुरूप हैं।

(32) सूची I की प्रविष्टियों 77 और 78 के दायरे से निपटते समय उस मामले में की गई कुछ और टिप्पणियों का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जो मेरे विचार से काफी प्रासंगिक हैं। ये टिप्पणियां रिपोर्ट के पृष्ठ 892 पर कॉलम 2 में दिखाई देती हैं और निम्नानुसार पढ़ी जाती हैं

-

"इन दो प्रविष्टियों के *बीच एकमात्र अंतर यह है कि जबकि सर्वोच्च न्यायालय के* अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को प्रविष्टि 77 में निपटाया जाता है, *उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को सूची 1 की प्रविष्टि* 78 द्वारा नहीं *बल्कि अन्य प्रविष्टियों द्वारा* निपटाया जाता है।

(33) मेरे विचार से, सामान्य रूप से उपर्युक्त पुनरुत्पादित टिप्पणियां और विशेष रूप से मेरे द्वारा रेखांकित टिप्पणियां न केवल श्री जैन के विवाद को नकारात्मक बनाती हैं, बल्कि पूरे मुद्दे को भी मजबूत करती हैं क्योंकि यह राज्य सूची की प्रविष्टि 3 और सूची I की प्रविष्टि 77 और 78 की व्याख्या से संबंधित है। मेरे द्वारा रेखांकित टिप्पणियां, चाहे वे किसी भी तरह या संदर्भ में पढ़ी जाती हैं, केवल एक निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि सूची I की प्रविष्टि 78 के तहत, उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के विषय पर विचार नहीं किया जाता है और यह कि प्रविष्टि 3 के तहत राज्य विधानमंडल अधिकार क्षेत्र और शक्तियां प्रदान कर सकता है या सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय को पहले से प्रदत्त अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को प्रतिबंधित या वापस ले सकता है। किसी संविधि के संबंध में और इसलिए, राज्य विधानमंडल को उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। इसके अलावा, उपरोक्त अवलोकन में होने वाले शब्द "लेकिन अन्य प्रविष्टियों द्वारा" बहुत महत्वपूर्ण हैं और स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उनके पास सूची II की प्रविष्टि 3 में शामिल "न्याय प्रशासन" अभिव्यक्ति का संदर्भ होना चाहिए। यह ध्यान रखना उचित होगा कि उपरोक्त टिप्पणियां *नरोत्तमदास जेठभाई के मामले* में पहले के फैसले को ध्यान में रखते हुए की गई हैं।

(34) इस स्तर पर, मैं *हकीम सिंह* बनाम *शिव सागर और अन्य* के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को नोटिस करना चाहूंगा, ([3]), जिसका संदर्भ श्री जैन द्वारा दिया गया था क्योंकि यह विद्वान वकील के तर्क का समर्थन करता है। उस मामले में, उत्तर

प्रदेश उच्च न्यायालय (पत्र पेटेंट अपील का उन्मूलन) (संशोधन) अध्यादेश 1972 (इसके बाद संशोधन अध्यादेश के रूप में संदर्भित) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (पत्र पेटेंट अपील का उन्मूलन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (इसके बाद संशोधन अधिनियम के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। निर्णय में, आक्षेपित अधिनियमन से पहले लेटर्स पेटेंट का विधायी इतिहास दिया गया है, जो निम्नलिखित प्रभाव का है -

"17 मार्च, 1866 के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत, इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए, दूसरी अपील, सिविल पुनरीक्षण या आपराधिक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में फैसले के अलावा एकल न्यायाधीश के फैसले से उसी उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। दूसरी अपील में पारित एकल न्यायाधीश के फैसले से अपील केवल तभी सुनवाई योग्य थी जब निर्णय पारित करने वाले न्यायाधीश ने घोषणा की कि मामला अपील के लिए उपयुक्त था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और अवध में मुख्य न्यायालय के समामेलन और इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के नाम से एक उच्च न्यायालय के गठन (उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (समामेलन) आदेश, 1948 में "नए उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) पर, लेटर्स पेटेंट उपरोक्त आदेश के प्रावधानों को लागू करने या प्रभावी बनाने के उद्देश्य को छोड़कर प्रभावी नहीं हो गया। जिसे इसके बाद, "समामेलन आदेश" के रूप में संदर्भित किया जाएगा। तथापि, समामेलन आदेश के खंड 7(1) के अधीन नए उच्च न्यायालय के पास ऐसे सभी मूल अपीलीय और अन्य क्षेत्राधिकार हैं जो मौजूदा उच्च न्यायालयों में से किसी एक द्वारा उस प्रांत के किसी भी भाग के संबंध में नियत दिन से ठीक पहले लागू कानून के तहत लागू किए गए थे। लेटर्स पेटेंट के खंड 10 ने इस प्रकार उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील को नियंत्रित करना जारी रखा। इस तरह की अपीलों को

लेटर्स पेटेंट अपील के रूप में जाना जाता था लेकिन बाद में उन्हें विशेष अपील के रूप में नामित किया गया था।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील का उन्मूलन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 के तहत उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा किए गए डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए एकल न्यायाधीश के निर्णय या आदेश के खिलाफ विशेष अपील को समाप्त कर दिया गया था। 30 जून, 1972 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील का उन्मूलन) (संशोधन) अध्यादेश, 1972 के तहत, धारा 4 को प्रधान अधिनियम में जोड़ा गया था, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किए गए एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। संयुक्त प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1901 या उत्तर प्रदेश किरायेदारी अधिनियम, 1939 या उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत राजस्व बोर्ड द्वारा या उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत राजस्व बोर्ड द्वारा बनाया गया या कथित रूप से बनाया गया है या बनाया गया है, जिसमें चकबंदी निदेशक के कर्तव्यों का उपयोग करने और चकबंदी के निदेशक के कर्तव्यों का पालन करने वाले किसी अन्य अधिकारी शामिल हैं) शामिल हैं। 1953 को समाप्त कर दिया गया। संशोधन अध्यादेश को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (पत्र पेटेंट अपील ों का उन्मूलन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें इसी तरह की धारा 4 को शामिल किया गया था जो 16 अगस्त, 1972 को लागू हुआ था। संशोधन विधेयक 19 जुलाई, 1972 को उत्तर प्रदेश विधान सभा में पेश किया गया था और 21 जुलाई, 1972 के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था। 1972 की विशेष अपील संख्या 455 3 जुलाई, 1972 को उच्च न्यायालय की छुट्टी के बाद फिर से खुलने के दिन और 1972 की विशेष अपील संख्या 459 29

जुलाई, 1972 को प्रस्तुत की गई थी। दोनों मामलों में एकल न्यायाधीश का फैसला उच्च न्यायालय की छुट्टियों से पहले अप्रैल, 1972 में सुनाया गया था।

(35) उपर्युक्त कथन से, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान अधिनियम ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 द्वारा शासित द्वितीय अपील में एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध विशेष अपीलों को समाप्त कर दिया है और पहली अपील ोंं में भी, जबकि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कार्यवाही में संशोधन अध्यादेश और संशोधन अधिनियम को राजस्व बोर्ड और चकबंदी निदेशक के आदेशों से उत्पन्न कार्यवाही में समाप्त कर दिया है। ऊपर दिए गए अधिनियम। इस प्रकार प्रधान अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची III में आने वाले मामलों पर लागू होता है, जबकि संशोधन अध्यादेश और संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति में लागू होते हैं।

(36) अपने विद्वान निर्णय में, पूरे मामले के कानून, प्रासंगिक संवैधानिक प्रविष्टियों और प्रावधानों और अन्य सामग्री पर विचार करने पर, माथुर, न्यायमूर्ति, ने कहा कि प्रविष्टि 78 के तहत संघ सूची में 'उच्च न्यायालयों के संविधान और संगठन' के हस्तांतरण का मतलब उच्च न्यायालयों की स्थिति में बदलाव लाना होगा जैसा कि भारत सरकार अधिनियम के तहत प्राप्त किया गया है। 1935; 'उच्च न्यायालय के संविधान और संगठन' को राज्य से संघ सूची में स्थानांतरित करने का कारण यह था कि ऐसे संविधान और संगठन से जुड़े सभी मामले संसद द्वारा बनाए गए सामान्य कानून द्वारा शासित होंगे, कि यदि 'उच्च न्यायालयों के संविधान और संगठन' के संबंध में कोई अलग प्रविष्टि नहीं थी, प्रविष्टि 'न्याय प्रशासन' में उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन शामिल होगा, लेकिन जहां दो अलग-अलग सूचियों में दो प्रविष्टियां साथ-साथ मौजूद हैं, 'न्याय प्रशासन' की इस तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती है कि 'उच्च न्यायालयों के संविधान और संगठन' को इसकी व्यावहारिक सामग्री से

वंचित किया जा सके और यह कि उच्च न्यायालयों का सामान्य अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों के संविधान और संगठन के भीतर आता है और अनन्य संसदीय का विषय था। सूची-I की प्रविष्टि 78 के अधीन विधान। गुण-दोष के आधार पर, विद्वान न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों पर कहा, कि लेटर्स पेटेंट अपील उच्च न्यायालय के संविधान और संगठन का एक हिस्सा था और राज्य विधानमंडल के पास उच्च न्यायालय के सामान्य अधिकार क्षेत्र के हिस्से के रूप में इसे समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं थी। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि विद्वान न्यायाधीश ने इस सवाल को खुला छोड़ दिया कि क्या लागू कानून उच्च न्यायालय के सामान्य अधिकार क्षेत्र से संबंधित कानून था या क्या यह 'भूमि' (प्रविष्टि 18 सूची II) के संबंध में एक कानून था जिसके संबंध में राज्य विधानमंडल सूची II की प्रविष्टि 65 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कटौती कर सकता था। न्यायमूर्ति माथुर ने यह भी कहा कि मामलों के त्वरित निपटान के लिए उस कानून के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए 'भूमि' (प्रविष्टि 18, सूची 2) के संबंध में एक कानून द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त कर दिया गया था। यह भी देखा गया कि यद्यपि तकनीकी रूप से लेटर्स पेटेंट अपील का उन्मूलन सूची I की प्रविष्टि 78 पर हो सकता है, लेकिन लागू कानून 'भूमि' से संबंधित कानून था (प्रविष्टि 18 सूची II) और प्रविष्टि 78 पर आकस्मिक अतिक्रमण कानून को अमान्य नहीं करता है।

(37) मैंने उस निर्णय का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है जिसे बहस के दौरान हमारे समक्ष *विस्तार* से पढ़ा गया था और अत्यंत सम्मान के साथ, अपने विचारशील विचार को पूरा करने के बाद, मैं *हकीम सिंह के मामले* (सुप्रा) में न्यायमूर्ति माथुर द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हूं। मैं विद्वान न्यायाधीश के तर्क पर अलग से विचार करने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि इसमें उस तर्क की पुनरावृत्ति शामिल होगी जो मैंने श्री जैन के तर्क को दूर करने के लिए अपनाया है।

(38) अब, मैं उन न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करने का प्रस्ताव करता हूं जो सूची I की प्रविष्टि 77 और 78 और सूची II की प्रविष्टि 3 की व्याख्या के संबंध में मेरे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। पहला मामला *शिवरुद्रप्पा गिरिमलप्पा साबोजी* मामले में मैसूर उच्च न्यायालय का है और दूसरा मामला *कपूरचंद मघाली मारवाड़ी* [(4)] का है। उस मामले में प्रश्न इस प्रकार से उठा -

(39) 5 जुलाई, 1956 को सिविल जज, सीनियर डिवीजन बीजापुर ने कुछ निष्पादन कार्यवाहियों में एक आदेश दिया, जिसमें दो निर्णय-देनदारों, जो उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता थे, द्वारा प्रार्थना किए गए स्थगन को अस्वीकार कर दिया गया और निष्पादन को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। वाद की विषय-वस्तु का मूल्य जो अपील का स्रोत था, 10,000/- रुपये से अधिक लेकिन 20,000/- रुपये से कम था। बॉम्बे सिविल कोर्ट अधिनियम की धारा 26 के तहत, उन सभी मामलों में जिनमें मुकदमे की विषय वस्तु 10,000 रुपये से अधिक है, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यह उस धारा के प्रावधानों के तहत था कि सिविल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित महसूस करने वाले निर्णय-देनदार बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील करना पसंद करते थे, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 62 (2) के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर मैसूर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। अपील के लंबित रहने के दौरान, नए मैसूर राज्य के विधानमंडल ने मैसूर सिविल न्यायालय अधिनियम, 1964 के तहत एक कानून बनाया। इस अधिनियम की धारा 1(3) के तहत, राज्य सरकार ने अधिनियम के संचालन की शुरुआत की तारीख के रूप में 1 जुलाई, 1964 को निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना बनाई। तब से यह अधिनियम लागू था। जैसा कि इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, नए कानून का उद्देश्य मैसूर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ मैसूर राज्य में सिविल न्यायालयों के संविधान, शक्तियों और अधिकार क्षेत्र से संबंधित एक समान कानून का अधिनियमन था। इस अधिनियम ने राज्य में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के तीन संवर्गों का सृजन किया और वे न्यायिक

अधिकारी मुंसिफ, सिविल न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश थे। इसके बाद न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी अध्यक्षता उन न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी और उनके द्वारा निपटाए जाने वाले कार्यों को वितरित किया जाएगा। प्रत्येक न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जिस पर इन न्यायिक अधिकारियों ने अध्यक्षता की थी, को भी विनियमित किया गया था। धारा 19 जो कि संबंधित धारा है, में निर्देश दिया गया है कि सिविल प्रकृति के डिक्री या आदेशों से अपील उन मामलों में होगी जहां वाद या कार्यवाही की विषय वस्तु का मूल्य 20,000 रुपये से कम है। धारा 29 (2) (सी) जिसके साथ उच्च न्यायालय मुख्य रूप से संबंधित था, प्रभावी रूप से उन अपीलों और उनसे संबंधित कार्यवाहियों को वैधानिक रूप से स्थानांतरित करता है जो अधिनियम लागू होने पर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थीं, यदि वे अपील या कार्यवाही किसी मुकदमे या कार्यवाही से उत्पन्न हुई हैं या मूल्य में 20,000 रुपये से कम मूल्य की कार्यवाही हुई है। चूंकि अपील, जिसकी विषय वस्तु 20,000 रुपये से कम थी, को नए कानून के तहत जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए मैसूर सिविल कोर्ट अधिनियम, 1964 की धारा 19 और 29 (2) (सी) की संवैधानिकता को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

(40) न्याय के प्रशासन को क्या अर्थ दिया जाना चाहिए, सोमनाथ अय्यर न्यायमूत, जिन्होंने निर्णय तैयार किया, ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

> "सुप्रीम कोर्ट में 'न्याय का प्रशासन' हालांकि राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि से बाहर है, जो संघ सूची की 77 वीं प्रविष्टि से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, जिससे यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में 'न्याय का प्रशासन' संसद को सौंपा गया एक विषय है। उस प्रविष्टि से यह स्पष्ट होता है कि न केवल उच्चतम न्यायालय का गठन और संगठन, बल्कि इसका अधिकार क्षेत्र और शक्तियां भी संघ के विषय हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय का

अधिकार क्षेत्र और शक्तियां संघ के विषय हैं, तो उसे यह पालन करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में न्याय का प्रशासन एक संघ का विषय है।

अब जो आवश्यक है वह यह है कि न्याय प्रशासन के अर्थ को समझने के लिए आगे बढ़ें जो राज्य का विषय है। यह स्पष्ट है कि किसी भी न्यायालय में 'न्याय के प्रशासन' का उद्देश्य होता है, कानून की सर्वोच्चता को बनाए रखना और मानव गतिविधि के सभी क्षेत्रों में इसका प्रवर्तन, इसका सार न्यायिक शक्ति का प्रयोग है जिसके साथ न्याय का प्रशासन अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। उस न्यायिक शक्ति की सामग्री एक निरंतर कारक नहीं हो सकती है और स्पष्ट रूप से अदालत से अदालत में भिन्न होनी चाहिए, हालांकि उस शक्ति का स्रोत आवश्यक रूप से एक कानून में पाया जाना चाहिए चाहे वह संविधान की तरह एक मौलिक कानून हो या इसके अधिकार के तहत बनाया गया कानून हो। उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक शक्ति या तो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति हो सकती है जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा बनाई गई या वह शक्ति हो सकती है जिसके साथ इसे संविधान द्वारा अधिकृत कानून द्वारा निवेश किया जाता है। फिर, उस शक्ति में विशेष कानूनों या सामान्य क्षेत्राधिकार के तहत विशेष अधिकार क्षेत्र शामिल हो सकता है जो आम तौर पर प्रयोग किया जाता है।

"हालांकि, यह हो सकता है, यदि न्याय के प्रशासन का मूल न्यायिक शक्ति का प्रयोग है जिसे अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के रूप में भी समझा जाता है, तो ऐसी न्यायिक शक्ति या अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कोई भी कानून 'न्याय के प्रशासन' पर एक कानून है और इसलिए यह राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि द्वारा अधिकृत है। यदि उच्च न्यायालय में 'न्याय प्रशासन' पर कानून को पहले ही उस प्रविष्टि के क्षेत्र में भी समझाया गया है, तो संविधान का अनुच्छेद 246 (3) राज्य विधानमंडल को उस विषय पर कानून

बनाने का अधिकार देता है, ठीक वैसे ही जैसे संसद के पास संघ सूची की 77 वीं प्रविष्टि के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्ति पर अन्य मामलों के बीच कानून बनाने की शक्ति है। यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के खंड (3) के अधीन राज्य विधानमंडल जिस विधायी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, वह उस अनुच्छेद के खंड (1) और (2) और अनुच्छेद 245 (1) में उल्लिखित संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन भी है।

यदि यह मामले का सही दृष्टिकोण है, तो यह राज्य की विधायिका पर निर्भर करता है कि वह अपने उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति या अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करे।

(41) इसके बाद, विद्वान न्यायाधीश ने *नरोत्तमदास जठाभाई के मामले* में सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में संघ सूची की 78वीं प्रविष्टि में होने वाली 'संविधान और संगठन' अभिव्यक्ति पर विचार किया और इस प्रकार राय व्यक्त की: -

"इसलिए, यदि प्रांतीय सूची की पहली प्रविष्टि के विषय का एक हिस्सा संघ सूची की 78 वीं प्रविष्टि में हटा दिया जाता है और इसका शेष भाग राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि में पाया जाना है, तो *नरोत्तमदास जथाभाई के मामले* (1 सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रांतीय सूची की पहली प्रविष्टि में होने वाले 'उच्च न्यायालयों का संविधान और संगठन' शब्दों को दिया गया अर्थ है। संघ सूची की 78वीं प्रविष्टि में आने वाले उन शब्दों को दिया जाने वाला अर्थ जारी नहीं रह सकता। हमें इस तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि उस प्रविष्टि में 'संविधान और संगठन' शब्द का वही अर्थ है जो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, यह है कि 'न्याय का प्रशासन' एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि के तहत राज्य विधानमंडल कानून बनाने की क्षमता रखता है। यदि, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, न्याय प्रशासन, जिसके

साथ उस प्रवेश से संबंधित है, में उच्च न्यायालय में न्याय का प्रशासन भी शामिल है, और, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा बताया गया है कि न्याय के प्रशासन की प्राथमिक सामग्री अधिकार क्षेत्र और न्यायिक शक्ति का प्रयोग है, तो मेरी राय में हमारे लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'न्याय के प्रशासन' शब्द को दिए गए अर्थ की उपेक्षा करना और पाया जाना स्वीकार्य नहीं होगा। संघ सूची की 78वीं प्रविष्टि की हमारी व्याख्या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के केवल उन भागों पर की गई है जो 'उच्च न्यायालय के गठन और संगठन' के संबंध में विधायी क्षेत्र को परिभाषित करते हैं।

राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि, जिसमें प्रांतीय सूची की प्रथम प्रविष्टि का रूप और आकार नहीं है, की व्याख्या उसी भाषा में की जानी चाहिए जिसमें अब इसे उसी तरह से लिखा गया है जिसमें हमें संघ सूची की 78 वीं प्रविष्टि को समझना चाहिए जो इसमें प्रांतीय सूची की पहली प्रविष्टि का हिस्सा है जो प्रांतीय सूची की पहली प्रविष्टि का हिस्सा है जो 'संविधान और संगठन' को संदर्भित करता है। उच्च न्यायालय'। यदि प्रांतीय सूची की पहली प्रविष्टि को दिया गया अर्थ, जब उस प्रविष्टि को 'न्याय के प्रशासन' से संबंधित विषय के अलावा 'उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन' से संबंधित विषयों के अलावा शामिल किया गया है, तो प्रविष्टि को दो भागों में विभाजित करने के बाद सहायता नहीं मिल सकती है, इसका एक हिस्सा राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि में रहता है और दूसरा राज्य सूची की 78 वीं प्रविष्टि में होता है। संघ सूची, यह पालन किया जाना चाहिए कि 'उच्च न्यायालयों के गठन और संगठन' से संबंधित विषय उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा विषय है जिसमें केवल उच्च न्यायालयों के गठन की स्थापना का संदर्भ है, जबकि राज्य सूची की तीसरी प्रविष्टि है जो ऐसे अधिकार क्षेत्र और शक्तियों पर कानून को अधिकृत करती है।

संघ सूची की 77वीं और 78वीं प्रविष्टियों के बीच के अंतर से यह स्पष्ट है कि सही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। 77 वीं प्रविष्टि जो संघीय सूची की 53 वीं प्रविष्टि से बहुत कम हद तक मेल खाती है, अन्य मामलों के अलावा संविधान और संगठन और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों पर कानून को अधिकृत करती है, जबकि, 78 वीं प्रविष्टि जो उच्च न्यायालयों के संबंध में कानून से संबंधित है, केवल उनके संविधान और संगठन पर कानून को अधिकृत करती है। महाधिवक्ता मेरी राय में सही हैं जब उन्होंने सुझाव दिया है कि 78वीं प्रविष्टि से 77वीं प्रविष्टि में पाए गए 'क्षेत्राधिकार और शक्तियां' शब्दों को हटाना लगभग निर्णायक संकेत है कि उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और शक्तियां 78वीं प्रविष्टि के भीतर नहीं हैं और इसलिए संघ के विषय नहीं हैं। यदि संविधान निर्माताओं का इरादा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के संबंध में भी संसद को विधायी शक्ति के साथ निवेश करने का था, तो 78 वीं प्रविष्टि को उन्हीं शब्दों में लिखा गया होगा जिसमें 77 वीं प्रविष्टि शब्द है।

प्रविष्टि 95 के संबंध में, विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि हम 95वीं प्रविष्टि को इस तरह से नहीं पढ़ सकते। *नरोत्तम दास जेठाभाई के मामले* (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि संघ सूची की 95 वीं प्रविष्टि जैसे राज्य सूची की 65 वीं प्रविष्टि और समवर्ती सूची की 46 वीं प्रविष्टि, उन सूचियों में उल्लिखित मामलों के संबंध में विशेष अधिकार क्षेत्र के निर्माण के लिए कानून को अधिकृत करने वाले प्रावधान हैं। समझा जाता है कि 95वीं प्रविष्टि उच्च न्यायालयों की छुट्टियों सहित संविधान और संगठन के संबंध में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों पर कानून को अधिकृत करती है। 95वीं प्रविष्टि के तहत उस मामले के संबंध में संसद जो भी कानून बना सकती है, यह स्पष्ट

है कि उस प्रविष्टि के क्षेत्र के भीतर, संसद में उस अधिकार क्षेत्र पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं हो सकती है जिसे एक उच्च न्यायालय न्याय के प्रशासन के लिए अपने गठन और संगठन के बाद प्रयोग कर सकता है।

(42) अगला मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है, वह *कोचुपन्नू कोचिक्का* बनाम *कोचिक्का कुंजिपेन्नू और अन्य* के मामले में केरल उच्च न्यायालय का पूर्ण पीठ का निर्णय है। उस मामले में केरल सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1959 के अधिनियम XII की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। संशोधन अधिनियम के माध्यम से एकल न्यायाधीश को उन दूसरी अपीलों को भी सुनने का अधिकार दिया गया था जिन्हें एक खंडपीठ द्वारा सुना जाना था। सभी प्रासंगिक प्रविष्टियों, संविधान के प्रावधानों और प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों पर विचार करने पर, निर्णय तैयार करने वाले विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

"संविधान और संगठन की अवधारणा के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकार क्षेत्र और शक्ति संविधान और संगठन से स्वचालित रूप से पालन करेंगे। इन दोनों अवधारणाओं के बीच के अंतर को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1, 2 और 3 में प्रासंगिक प्रविष्टियों में भी स्पष्ट रूप से बनाए रखा गया है। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, किसी भी प्रविष्टि में सामान्य रूप से क्षेत्राधिकार और शक्तियों के विषय का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन एक विशिष्ट विषय के रूप में 'न्याय प्रशासन' को सूची 2 की प्रविष्टि 3 में स्थान दिया गया है, भले ही इस प्रविष्टि में उच्च न्यायालय का गठन और संगठन शामिल नहीं है, लेकिन सूची I की प्रविष्टि 78 के अनुसार ऐसे संविधान और संगठन को विशेष रूप से संसद को सौंपा गया है। चूंकि 'न्याय प्रशासन' का विषय शामिल है, इसलिए निस्संदेह न्याय प्रशासन

के मामले में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्ति को परिभाषित करने और विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने के लिए सक्षम है।

यदि सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 3 में होने वाली अभिव्यक्ति 'न्याय प्रशासन' को इसके व्यापक अर्थों में माना जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि न्यायालय की स्थापना और न्याय के प्रशासन के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के साथ निवेश करने से संबंधित सब कुछ इस प्रविष्टि द्वारा कवर किया जाता है और राज्य विधानमंडल न्याय प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने के लिए सक्षम है।

लेकिन जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, राज्य विधानमंडल की इस शक्ति में संविधान में निहित स्पष्ट उपबंधों द्वारा काफी हद तक कटौती की गई है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, उच्च न्यायालय के गठन और संगठन के विषय को स्पष्ट रूप से राज्य सूची से बाहर रखा गया है और संघ सूची में शामिल किया गया है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना और उस उच्च न्यायालय के सामान्य अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के बारे में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

(43) तीसरा मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है वह *के कुमारस्वामी, कुमनंदन और ब्रदर्स* मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का है। बनाम *प्रीमियर इलेक्ट्रिक कंपनी।*[(6).] फैसले से विद्वान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को पुन: प्रस्तुत करना उपयोगी होगा, जिन्होंने निर्णय तैयार किया था जो 'न्याय के प्रशासन' के संबंध में किए गए थे। टिप्पणियां निम्नानुसार पढ़ी गई हैं -

"विचार करने के लिए सवाल यह है कि क्या सिविल कोर्ट के आर्थिक अधिकार क्षेत्र का विस्तार 'न्याय के प्रशासन, संविधान और न्यायालयों के संगठन' की अभिव्यक्ति के दायरे में आता है। हमें लगता है कि ये व्यापक अर्थ की अभिव्यक्तियां हैं और न्यायालयों

के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि को उनके कम्पास के भीतर समझते हैं। इन शब्दों का उपयोग बिना किसी योग्यता या सीमा के किया गया है और वे न्यायालयों की शक्ति और अधिकार क्षेत्र को दर्शाते हैं। मुकदमों पर विचार करने और उनका निपटान करने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से न्याय प्रशासन की एक शाखा है। इसलिए, इसमें अनिवार्य रूप से विषय-वस्तु के मूल्य के बावजूद सिविल या आपराधिक प्रकृति के मुकदमों या कार्यवाही पर विचार करने की शक्ति शामिल होनी चाहिए। इस शक्ति का अर्थ आवश्यक रूप से क्षेत्रीय और आर्थिक रूप से न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने, बदलने, संशोधित करने या कम करने का अधिकार है। दूसरी ओर, यदि उन्हें इस तरह से समझा जाता है कि वे क्षेत्रीय या आर्थिक रूप से न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने, कम करने, बदलने या जोड़ने की शक्ति को शामिल नहीं करते हैं, तो यह इन अभिव्यक्तियों को उनकी 'प्राथमिक सामग्री' से वंचित करना चाहिए। इस प्रकार यह देखा गया है कि न्याय के प्रशासन और न्यायालयों के गठन और विनियमन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल में निहित है।

(44) यद्यपि कुछ अन्य निर्णयों का भी हवाला दिया गया था, लेकिन मैं उन सभी का संदर्भ देने का प्रस्ताव नहीं करता क्योंकि उपर्युक्त पुनरुत्पादित टिप्पणियां प्रविष्टियों की व्याख्या के संबंध में कुछ उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए पर्याप्त हैं, जिनसे हम संबंधित हैं।

(45) विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि लाहौर में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय का गठन और स्थापना 21 मार्च, 1919 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा जारी एक चार्टर द्वारा की गई थी, जिसे लेटर्स पेटेंट कहा जाता है। इसने पंजाब और दिल्ली प्रांतों में सिविल न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और डिक्री से सिविल मामलों में प्रथम अपीलीय क्षेत्राधिकार

प्रदान किया, और निर्दिष्ट किया कि सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, जैसा कि उस समय लागू किसी भी कानून के आधार पर पंजाब के मुख्य न्यायालय द्वारा प्राप्त किया गया था, लेटर्स पेटेंट के खंड 11 के तहत, उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जाएगा। यह पद वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक जारी रहा। स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा 18 की उप-धारा (3) के तहत जारी भारत (मौजूदा भारतीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 1947 के तहत, आदेश के खंड 3 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी मौजूदा भारतीय कानून में लाहौर में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के किसी भी संदर्भ को पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय के संदर्भ से बदल दिया जाएगा। इस प्रकार, पंजाब के उस हिस्से के लिए पूर्वी पंजाब के उच्च न्यायालय का गठन किया गया जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत का हिस्सा घोषित किया गया था और लेटर्स पेटेंट को तदनुसार संशोधित किया गया था। लेटर्स पेटेंट और पंजाब कोर्ट एक्ट, 1918, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (1) और अनुच्छेद 254 के उद्देश्य से संविधान की घोषणा के समय मौजूदा कानून थे, और संविधान के प्रारंभ के समय मौजूदा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 225 के आधार पर पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना जारी था। उक्त अधिनियम के तहत पुनर्गठित पंजाब राज्य के क्षेत्रों के लिए 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम संख्या 37 की धारा 49 के तहत एक नए उच्च न्यायालय का गठन और स्थापना की गई थी और उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत उस उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि एक नए उच्च न्यायालय में "ऐसे सभी मूल" होंगे। अपीलीय और अन्य क्षेत्राधिकार, जैसा कि एक उच्च न्यायालय द्वारा नियत दिन से ठीक पहले अर्थात 1 नवंबर, 1956 से तत्काल लागू कानून के तहत प्रयोग किया जा सकता था। विद्वान वकील के अनुसार, उच्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र को राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा छीन, प्रतिबंधित या सीमित नहीं किया जा सकता है, जिसे 1956 के लेटर्स पेटेंट और राज्य पुनर्गठन अधिनियम संख्या 37 के तहत प्रदान किया गया था, जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा

पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं होता है और राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं करता है। संसद द्वारा बनाए गए कानून और मौजूदा कानून, यानी लेटर्स पेटेंट और पंजाब कोर्ट एक्ट, 1918 के प्रतिकूल होना चाहिए। विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि इस उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3, 4 और 231 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके एक सामान्य उच्च न्यायालय के रूप में बनाया गया था और 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम संख्या 31 की धारा 30 द्वारा इस सामान्य उच्च न्यायालय को प्रदान किए गए अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम द्वारा नहीं छीना जा सकता है।

(46) सूची II की प्रविष्टि 3 के अधीन राज्य विधानमंडल की विधायी योग्यता के बारे में मेरे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त विवाद में उठाए गए सभी बिंदु बिना किसी योग्यता के हैं।

(47) 1976 में संविधान में 42वें संशोधन के परिणामस्वरूप, "न्याय प्रशासन" के विषय को सूची II की प्रविष्टि 3 से हटा दिया गया था और सूची III की प्रविष्टि 11-ए, अर्थात समवर्ती सूची में रखा गया था। 42 वें संशोधन से पहले, 'न्याय प्रशासन' प्रविष्टि 3 का हिस्सा था। जैसा कि संदर्भ ति आदेश से स्पष्ट है, पंजाब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1963 की शक्तियों पर भी हमला किया गया था। यही कारण है कि पंजाब के महाधिवक्ता को नोटिस जारी करना पड़ा। निर्णय के पिछले भाग में, मैंने पहले ही कहा है कि प्रविष्टि 3 के तहत 'न्याय प्रशासन' राज्य विधानमंडल को उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने की योग्यता प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप संविधान में 42 वें संशोधन से पहले राज्य विधानमंडल द्वारा पंजाब न्यायालय अधिनियम में किए गए संशोधन वैध रूप से किए गए थे और 1963 अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों पर हमला किया गया था। इसके बाद संशोधन टिकाऊ नहीं है।

(48) अब, 42वें संशोधन के पश्चात्, 'न्याय प्रशासन' का विषय सूची III की प्रविष्टि 11-क का भाग है और राज्य विधानमंडल तथा संसद दोनों ही 'न्याय प्रशासन' के संबंध में इस प्रविष्टि के अंतर्गत विधान बनाने के लिए सक्षम हैं। राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बना रहा था जो किसी केंद्रीय कानून के प्रतिकूल हो। श्री जैन द्वारा यह तर्क दिया गया था कि लाहौर में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय की स्थापना 21 मार्च, 1919 को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा जारी लेटर्स पेटेंट के माध्यम से की गई थी और यह अधिकार पत्र पेटेंट के खंड 11 के तहत उच्च न्यायालय को दिया गया था, जो निम्नलिखित शर्तों में है -

> 11. और हम यह भी आदेश देते हैं कि लाहौर स्थित उच्च न्यायालय पंजाब और दिल्ली प्रांतों के सिविल न्यायालयों और अन्य सभी न्यायालयों से अपील का न्यायालय होगा जो इसके अधीक्षण के अधीन होगा और इन प्रस्तुतियों के प्रकाशन की तारीख से ठीक पहले ऐसे मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, जो इन प्रस्तुतियों के प्रकाशन की तारीख से ठीक पहले थे। उस समय लागू किसी कानून के आधार पर पंजाब के मुख्य न्यायालय में अपील करने के अधीन, या उस तारीख के बाद भारत के लिए सक्षम विधायी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा लाहौर में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय में अपील के अधीन घोषित किया जा सकता है।

(49) विद्वान वकील के अनुसार, यह लेटर्स पेटेंट के तहत था कि उच्च न्यायालय का गठन किया गया था और अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था, और यह कि राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बदल या पूरी तरह से छीन नहीं सकता था। मुझे डर है, मैं विद्वान वकील के तर्क से सहमत होने में असमर्थ हूं। लेटर्स पेटेंट ने लाहौर में एक उच्च न्यायालय का निर्माण किया, जिसे उस समय प्रचलित कानून के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना था। पंजाब कोर्ट ्स एक्ट लेटर्स पेटेंट में विलय नहीं हुआ और न ही लेटर्स पेटेंट ने हाईकोर्ट को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान किया। उस समय लागू कानून के तहत उच्च

न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया गया था। लाहौर में उच्च न्यायालय ने 'पंजाब न्यायालय अधिनियम' के प्रावधानों के अनुसार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, जो एक वैध कानून था और किसी भी अन्य कानून से अप्रभावित रहा। संविधान के लागू होने के बाद, फिर से पंजाब न्यायालय अधिनियम एक वैध कानून नहीं रहा। लेटर्स पेटेंट में पंजाब कोर्ट ्स एक्ट के विलय का सिद्धांत पूरी तरह से असमर्थनीय है। मैं एक पल के लिए भी विद्वान वकील द्वारा प्रतिपादित इस विचार से सहमत नहीं हो सकता कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 39 और 41 को लेटर्स पेटेंट में शामिल किया गया है। इसके अलावा, यदि राज्य विधानमंडल के पास पंजाब न्यायालय अधिनियम में संशोधन करने की विधायी योग्यता थी, तो राज्य के कानून को केंद्रीय कानून के साथ प्रतिकूल करने या राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को आरक्षित करने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त, विधायिका मौजूदा कानून और संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए सक्षम होने के कारण सक्षम होने के कारण पंजाब न्यायालय अधिनियम में पंजाब राज्य विधानमंडल द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों को भारत के संविधान के उपबंधों के *प्रतिकूल* और अनुचित नहीं माना जा सकता है।

(50) इस मामले को इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। जैसा कि श्री जैन के तर्क से स्पष्ट है, 'न्याय प्रशासन' विषय के तहत राज्य विधानमंडल के पास न्याय के प्रशासन के लिए अधिकार क्षेत्र और शक्ति के साथ राज्य में न्यायालयों का निवेश करने की शक्ति है। इस मामले में, लागू कानून द्वारा जिला न्यायाधीश को मूल वाद के मूल्य पर ध्यान दिए बिना अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री या आदेश से अपील सुनने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से अपील सुनने के लिए जिला न्यायाधीश को शक्ति प्रदान करना, मूल्य के बावजूद, राज्य विधानमंडल की विधायी योग्यता के भीतर है। ऐसा होने पर, भले ही श्री जैन के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, फिर भी लागू किया

गया कानून 'सार और सार' के सिद्धांत के आधार पर मान्य होगा, इस तथ्य के बावजूद कि कानून संयोग से संसद को सौंपे गए विधायी क्षेत्र पर अतिक्रमण का परिणाम है।

(51) विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि 'न्याय प्रशासन' शब्द की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायिक नियंत्रण का अतिक्रमण हो, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के आधार पर उच्च न्यायालय में निहित है। विद्वान वकील के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 235 में 'नियंत्रण' शब्द का अर्थ न केवल प्रशासनिक या अनुशासनात्मक है, बल्कि न्यायिक नियंत्रण भी है; यह कि अपीलीय, पुनरीक्षण और अधीक्षण क्षेत्राधिकार के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायिक नियंत्रण का प्रयोग किया गया था; यह कि राज्य विधानमंडल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के न्यायिक नियंत्रण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था क्योंकि विधायी शक्तियां संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन थीं, और यह कि लागू किए गए अधिनियमों ने उच्च न्यायालय के प्रथम अपीलीय अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से छीन लिया है, जो उच्च न्यायालय को उसके लेटर्स पेटेंट के तहत प्रदान किया गया था। वे असंवैधानिक थे। मुझे डर है, मैं विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हूं। विद्वान वकील का तर्क एक धारणा पर आधारित है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का न्यायिक नियंत्रण अभी भी मौजूद है। लागू कानून द्वारा जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि पहली अपील एक अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से जिला न्यायाधीश तक होगी, चाहे मुकदमे का मूल्य कुछ भी हो, और यह कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के प्रावधान सिविल प्रक्रिया की धारा 100 के अनुरूप हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के बाद उच्च न्यायालय में दूसरी अपील सुनवाई योग्य होती है। जैसा कि पहले कहा गया है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि लागू कानून द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के न्यायिक नियंत्रण को कैसे छीन लिया गया है।

(52) विचार के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं उठता है।

(53) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम (1977 का अधिनियम संख्या 20), 1978 का पंजाब न्यायालय (हरियाणा संशोधन) अधिनियम संख्या 24 और पंजाब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 1963 वैध हैं और अपेक्षित विधायी क्षमता के साथ अधिनियमित किए गए थे। नतीजतन, 1971 के आरएफए नंबर 359 में सिविल विविध संख्या 1351-सीआई/1978 को लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया जाता है।

न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया, मैं सहमत हूं।

न्यायमूर्ति ए.एस. बैंस, - मैं भी सहमत हूं।

एन.के.एस.

---

(1) ए.आई.आर. 1951 एस.सी.

(2) ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 888.

(3) ए.आई.आर. 1973 इलाहाबाद 596.

(4) ए.आई.आर. 1965 मैसूर 76.

(5) ए.आई.आर. 1961 केरल 226.

(6) ए.आई.आर. 1959 आंध्र प्रदेश 3.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा